13.9.19 एसीजेएम के निर्देशानुसार अधिवक्ता आज न्यायालय उपस्थित में चार माह ले रहे हैं पक्षों इलाज उपस्थित नहीं 18.10.19 को तय है श्रीमान CDO साहब अवकाश पर प्रतीक्षित है।

उपखण्ड अधिकारी
रोहट

18.10.19 वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण अनुपस्थित अप्रार्थी सं. 2, 4, 5 के नोटिस की तामील के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। अप्रार्थी सं. 3 के नोटिस पर आसामी के फौत होने की रिपोर्ट अंकित है। अतः वकील प्रार्थी मृतक अप्रार्थी गंगादेवी के वारिसान की सूचना पेश करे। अप्रार्थी सं. 1 के पेशगी जवाब हेतु अवसर चाहते हैं। जो न्याय हित में दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27.11.19 को पेश हो।

27.11.19 प्रार्थीगण वकील अनुपस्थित अप्रार्थीगण अनुपस्थित प्रार्थीगण वकील के बार बार आवाजे लगाई गई लेकिन प्रार्थीगण वकील अनुपस्थित रहने के कारण यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी व वकील प्रार्थी की अदम हाजरी व अदम पैरवी के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी
रोहट

Scanned by CamScanner